# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 01/2022

दायर दिनांक :– 07.01.2022

अनवान

गीता देवी पत्नि स्व. परमेश्वर लाल शर्मा नि. ईटून्दा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. शिवराज पिता सुखा गुर्जर नि. कुचलवाडा कलां तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी.............

**:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::**

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री सुनिल कुमार पंचोली, एडवोकेट प्रार्थी,

**:: आदेश ::** दिनांक 12.09.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर मे स्थित आराजी संख्यां–366/2 रकबा – 0.6566 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान मे राजस्व भू अभिलेखो मे प्रार्थीया गीतादेवी के नाम पर है। जिसमे प्रार्थीया के स्वामित्व का हक अधिकार भूमि में निहित है। वर्तमान समय मे उक्त आराजी पर प्रार्थीया ही लगातार काविज होकर काश्त कर जीवनयापन कर रही है। ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का उंचा मे स्थित आराजी खसरा संख्या 366/3 रकबा 0.6566 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जिस पर वर्तमान मे अप्रार्थीगण संख्या 1 काविज होकर काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीया काविज होकर काश्त करते चला आ रही है। दिनांक 18.12.2021 को कृषि साख ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थीया पटवार हल्का उंचा से अपनी ग्राम हनुमाननगर की कृषि आराजी की नकल नक्शा प्राप्त करने गई तो पता चला कि उक्त वर्णित प्रार्थीया की आराजी का अंकन राजस्व मानचित्र मे गलत है। प्रार्थिया जिस स्थान पर मौके पर काविज होकर काश्त कर रही है, उस स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 366/3 का अंकन राजस्व अधिकारियो ने गलती से कर दिया तथा इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 जहां काविज है उस स्थान प्रार्थीया की आराजी खसरा संख्या 366/2 का अंकन

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)



Scanned with CamScanner

राजस्व अधिकारियो की गलती से तरमीम कर दिया हैं । प्रार्थीया ने जमाबन्दी मे दर्ज आराजी का मौके पर कब्जे के आधार पर उसकी व अप्रार्थीगणो की उक्त आराजीयो को राजस्व मानचित्र मे शुद्ध दर्ज करवाने वास्ते तहसीलदार जहाजपुर के यहां एक आवेदन पत्र वास्ते तरमीम हेतू पेश किया किन्तु उन्होने इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही और कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। उक्त वर्णित दोनो आराजियात मे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या–1 का वर्तमान मे जमाबन्दी मे उल्लेखित कृषि भूमि पर मौके पर काबिज होकर उपयोग– उपभोग कर काश्त कर रहे है। इसलिए प्रार्थीया के मौके पर कब्जे के अनुसार के उक्त चरण संख्या–1 मे वर्णित आराजी को राजस्व एंव भू मानचित्र मे राही अंकित किया जाना तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 के मौके पर कब्जे के अनुसार उक्त चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी को राजस्व एंव भू मानचित्र मे सही अंकित किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। प्रार्थीया खातेदार होकर जिस स्थान पर कब्जा काश्त है,उस स्थान पर आरजी संख्या 366/2 अंकित किया जावे तथा जिस स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 1 काबिज काश्त है ,उस स्थान पर आराजी संख्या 366/3 अंकित कर शुद्व दाखिला दर्ज किया जावे । अतः निवेदन है कि वर्तमान राजस्व मानचित्र मे शुद्धी कर आराजी खसरा संख्या 366/3 के स्थान पर आराजी खसरा संख्या 366/2 का अंकन किया जावे तथा इसी प्रकार आराजी खसरा संख्या 366/2 के स्थान पर 366/3 का अंकन किया जावे। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए उपरोक्तानुसार राजस्व मानचित्र मे सही तरमीम किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 21.06.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि ग्राम हनुमाननगर प. ह. उँचा में स्थित आ.न. 366/2 रकबा 0.6566 है. मुताबिक जमाबन्दी रोटेशन सं. 2073–76 के खा. सं. 84 में खातेदार गीता देवी पत्नि परमेश्वर शर्मा सा. ईटून्दा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं वर्तमान समय में उक्त आराजी पर काबिज नही होकर ख. सं. 366/3 पर काबिज है। ग्राम हनुमाननगर के मुताबिक राजस्व नक्शा लट्ठा सीट के आ.न 366/3 रकबा 0.6566 है. कृषि भूमि पर प्रार्थिया गीता देवी पत्नि परमेश्वर शर्मा नि. ईटुन्दा का कब्जा काश्त बताया गया हैं। आ. न. 366/2 रकबा 0.6566 है. में मुताबिक राजस्व रेकार्ड लटठा सीट के प्रार्थीया का काब्जा काश्त नही होकर आ.न. 366/3 रकबा 0.6566 है. के खातेदार शिवराज पुत्र सुखा गुर्जर नि. कुचलवाडा कला का कब्जा काश्त है। आ.न. 366/2 व 366/3 को कब्जे के अनुसार मानचित्र में तरमीम करवाना चाहते हैं मुताबिक राजस्व लटठा सीट में जहां आराजी नं. 366/2 व 366/3 को कब्जे के अनुसार भू मानचित्र में तरमीम करवाना चाहते है। मुताबिक राजस्व लटठा सीट मे जहां आ. न. 366/2 अंकित हैं उक्त स्थान पर आ. न.

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)



Scanned with CamScanner

366/3 का खातेदार एवं जहां आ.न. 366/3 की तरमीम हैं उक्त स्थान पर आराजी नं. 366/2 का खातेदार काबिज हैं उक्त कब्जे के अनुसार तरमीम करवाना चाहते है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, नामान्तरण सं. 85 एवं इसके साथ संलग्न नक्शे की प्रमाणित प्रति पेश की, जो शामिल फाईल है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी बहस के दौरान बताया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के बीच उक्त भूमि का सहमति बंटवाडा हुआ था। उक्त नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में भिन्नता है, सहमति बंटवाडा में संलग्न नक्शे का नक्शे अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल नही हुआ है। मुताबिक राजस्व लटठा सीट में जहां आ. न. 366/2 अंकित है। उक्त स्थान पर आ. न. 366/3 का खातेदार एवं जहां आ.न. 366/3 की तरमीम है उक्त स्थान पर आ.न. 366/2 का खातेदार काबिज हैं। इसलिये उक्त आ.सं. 366/3 के स्थान पर आ. सं. 366/2 का अंकन किया जाकर कब्जे के अनुसार तरमीम करवाने का आदेश प्रदान कराना फरमावे।

मैने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के बीच उक्त भूमि का सहमति बंटवाडा हुआ था। उक्त नक्शा सहमति बंटवाडा के नामान्तरण सं. 85 के संलग्न है। उक्त नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में भिन्नता है, जिससे यह प्रतीत होता है की सहमति बंटवाडा में संलग्न नक्शे का नक्शे अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल नही हुआ है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व लटठा सीट में जहां आ. न. 366/2 अंकित है, उक्त स्थान पर आ. न. 366/3 का खातेदार एवं जहां आ.न. 366/3 की तरमीम है उक्त स्थान पर आ.न. 366/2 का खातेदार काबिज हैं। उक्त कब्जे के अनुसार प्रार्थी तरमीम करवाना चाहते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम संशोधन किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमाननगर प. ह. उँचा की आ.न. 366/2 रकबा 0.6566 हैक्टर तथा ग्राम हनुमाननगर प. ह. उँचा की आराजी नं. 366/3 रकबा 0.6566 हैक्टर में वर्तमान तरमीम को विलोपित की जाकर आ.सं. 366/3 के स्थान पर आ. सं. 366/2 का अंकन एवं आ. सं. 366/2 के स्थान पर आ. सं. 366/3 का अंकन किया जाकर राजस्व मानचित्र में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दामोदर सिंह )
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner